| तारीख हुक्म | प्रकरण सं. 86/2018 (2018/00163)<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>नरेन्द्रसिंह v/s कालूसिंह राजपूत नि. गलवा | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 03.03.2020 | पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उपस्थित विपक्षी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही का निर्णय लिया गया।<br>पत्रावली के प्रार्थी अधि. की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।<br>अतः प्रार्थी गण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LR Act स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम गलवा की आ.नं. 1349 रकबा 0.03 से.मी. आन्या का सीमांकन शुल्क राजकोष में 100 Rs. तथा कानिगो ऑफिस के 200 Rs कानिगो को अदा करने पर प्रार्थी को अपनी खातेदारी शामलाती चाह का सीमांकन कराया जावे, पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को प्रेषित जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>4.3.2020<br>(सुन्दरलाल बम्बोड़ा)<br>RAS<br>सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)<br>रायपुर (भीलवाड़ा) | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.03.06 15:19:12 IST
Reason: SelfAttested